दिल्ली उच्च न्यायाल: नई दिल्ली

निर्णय तिथि :13 फरवरी 2025

CM (M) 302/2025 & CM APPL. 8730/2025
सि.वि.(मू.) 302/2025 व सि.वि.आ. 8730/2025 स्थगित

सिद्धांत कुमार .....याचिकाकर्ता

द्वारा: अधिवक्ता श्री राकेश नौटियाल

बनाम

मयंक मलिक ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सुमित गोयल, श्री पारस चावला और श्री वैभव कुमार, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री रविंदर डुडेजा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>न्या. श्री रविंदर डुडेजा</u>

1. वर्तमान याचिका दिल्ली के रोहिणी न्यायालय, उत्तर-पश्चिम के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा सिविल वाद (डीजे) संख्या 60/2023, जिसका शीर्षक *"मयंक मलिक बनाम सिद्धांत कुमार"* है, में दिनांक 06.03.2024 को पारित

आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा धारा 151 सि.प्र.सं. (CPC) के तहत विलंब की माफी की मांग करते हुए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

<u>तथ्यः</u>

2. प्रत्यर्थी ने क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम किया है।

3. याचिकाकर्ता को वादपत्र और दस्तावेजों की प्रति सहित मुकदमे का समन 27.03.2024 को प्राप्त हुआ था।

4. चूंकि कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया था, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.07.2023 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के बचाव को खारिज कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 27.07.2023 को लिखित बयान के साथ लिखित बयान दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए आवेदन किया।

5. दिनांक 06.03.2024 के आदेश के अनुसार, लिखित बयान दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए दायर आवेदन को विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

<u>पक्षकारगण के तर्क</u>

6. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्क वही हैं जो विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिवक्ता द्वारा अपने कनिष्ठ अधिवक्ता को सौंपा गया लिखित बयान गुम हो गया था, इसलिए लिखित बयान की एक नई प्रति तैयार की गई और 27.07.2023 को अभिलेख पर प्रस्तुत की गई।

7. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत प्रावधान अनिवार्य नहीं है, और अतः विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा लिखित बयान दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा किया जा सकता था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सि.प्र.सं. (CPC) के आदेश 8 नियम 1 में न्यायालय की लिखित बयान को अभिलेख में लेने की शक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं छीना गया है, भले ही वह निर्धारित समय सीमा के बाद दाखिल किया गया हो।

8. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आदेश 8 नियम 1 में दिया गया प्रावधान प्रक्रियात्मक है, न कि मूल कानून का हिस्सा, और प्रक्रिया के नियम पक्षकारगण को वास्तविक न्याय मिलने में बाधा नहीं बनना चाहिए।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता लिखित बयान दाखिल करने में देरी के लिए कोई पर्याप्त कारण

देने में विफल रहा है, और इसलिए, वर्तमान याचिका को चुनौती देने में कोई गुणागुण नहीं है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

10. यह स्वीकार किया जाता है कि विचारण न्यायालय में दायर किया गया वाद किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित नहीं है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 16 के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों पर लागू होने वाले सि.प्र.सं. (CPC) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

> "16. **वाणिज्यिक विवादों पर लागू होने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन**-(1) निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से सम्बन्धित किसी भी वाद में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों का अनुप्रयोग अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से संशोधित माना जाएगा।
> (2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय, निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में मुकदमे की सुनवाई में, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों का पालन करेंगे।
> (3) जहां क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के किसी नियम का कोई प्रावधान या राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किया गया कोई संशोधन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों से विरोधाभास रखता है, तो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान प्रभावी होंगे।

11. वाणिज्यिक विवाद सि.प्र.सं. (CPC) की धारा 16 द्वारा यथा संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, जबकि अन्य गैर-वाणिज्यिक विवाद सि.प्र.सं. (CPC) के अनपेक्षित प्रावधानों के दायरे में आते हैं।

12. गैर-व्यावसायिक विवाद में लिखित बयान दाखिल करने की समयसीमा के संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने **एटकॉम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम वाई.ए. चुनावला एंड कंपनी (2018) 6 एससीसी 639** के मामले में पुष्टि की है कि अनपेक्षित आदेश 8 नियम 1 सि.प्र.सं. (CPC) निर्देशात्मक बना हुआ है और कुछ देरी को माफ करने के लिए न्यायालयों के अंतर्निहित विवेक को समाप्त नहीं करता है।

13. यद्यपि, संशोधित आदेश 8 नियम 1 सि.प्र.सं. (CPC) निर्देशात्मक है, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि किसी भी मुकदमेबाज या अधिवक्ता को अपनी मर्जी से लिखित बयान दाखिल करने या वाद को लंबा खींचने की खुली छूट मिल जाए। सि.प्र.सं. (CPC) में समयसीमा निर्धारित करने के पीछे विधायी उद्देश्य को उचित महत्व दिया जाना चाहिए ताकि विवादों का समयबद्ध तरीके से समाधान हो सके। पक्षकारगण के नियंत्रण से परे कारकों के कारण, तत्परता बरतने के बावजूद, होने वाली अत्यधिक कठिनाई के मामले में विलंब क्षमा करना न्यायसंगत और उचित हो सकता है। अत: न्यायालय को वर्तमान मामले में यह विचार करना होगा कि क्या याचिकाकर्ता ने संविधान के

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है।

14. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को 27.03.2023 को समन तामील किया गया था। सि.प्र.सं. (CPC) के आदेश 8 नियम 1 के तहत लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा 90 दिन निर्धारित है। ऐसे में, लिखित बयान 30 दिनों के भीतर या विस्तारित 90 दिनों की अवधि यानी 26.06.2023 तक दाखिल किया जाना चाहिए था। यह भी निर्विवाद है कि लिखित बयान लगभग एक महीने से थोड़ी ज्यादा देरी से 27.07.2023 को न्यायालय में दाखिल किया गया था।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान देते हुए विचारण न्यायलय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता ने यह अस्पष्ट तर्क दिया है कि लिखित बयान कनिष्ठ सहयोगी द्वारा गुम कर दिया गया था और इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है।

16. विलंब की माफी के लिए दिए गए आवेदन और वर्तमान याचिका में उठाए गए आधारों का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विलंब की माफी के आधार वास्तव में अस्पष्ट हैं और लिखित बयान दाखिल करने में देरी का कोई उचित कारण नहीं बनाते हैं।

17. याचिकाकर्ता देरी के लिए कोई ठोस कारण देने में विफल रहा है और अपनी ओर से उचित सावधानी बरतने का प्रमाण देने में असमर्थ है।

18. हालाँकि, इस तथ्य पर उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए ध्यान दिया गया है कि देरी केवल एक महीने से कुछ अधिक है, और आगे प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार को उदाहरण के रूप में स्थापित किए बिना न्यायालय निर्देश देता है कि अपीलकर्ता द्वारा 27.07.2023 को दायर लिखित बयान को प्रत्यर्थी के 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ अभिलेख पर लिया जाए।

19. याचिका को उपरोक्त शर्तों पर स्वीकार किया जाता है।

न्या. श्री रविंदर डुडेजा

13 फरवरी, 2025
आरएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*